The Jharkhand Salaries and Allowances of Ministers Amendment Act, 2005

Act 8 of 2006

Keyword(s):
Ministers, Salary Allowance, Air Travel, Companion Medical Allowance

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 102 8 फाल्गुन 1927 शकाब्द

रॉंची, सोमवार 27 फरवरी, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

27 फरवरी, 2006

संख्या-एल०जी०-06/2001-33/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:--

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005
[झारखण्ड अधिनियम 08, 2006]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें (56वें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**-(1) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-6 के द्वितीय पंक्ति में अंकित शब्द समूह ''हकदार होगा'' के पश्चात् निम्न शब्द समूह जोड़े जायेंगे--

''हवाई यात्रा एवं जल पोत से यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी'' ।

3. **झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-7 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-7 में शब्द क्षेत्रीय भत्ता ''प्रतिमाह'' के बाद अंक ''4000/-'' के स्थान पर अंक ''8000/-'' एवं प्रकोष्ट के अन्दर के शब्द ''चार हजार'' के स्थान पर शब्द ''आठ हजार'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. **झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-8 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-8 के खंड (I) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा

''मुख्य मंत्री 11000/- (ग्यारह हजार) रुपये प्रतिमाह, मंत्री 8000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिमाह एवं राज्य मंत्री 8000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिमाह'' ।

5. **झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-8 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-9 में चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह के पश्चात् अंक एवं शब्द अंकित शब्द समूह ''रुपये 2000/-(दो हजार रुपये)'' के स्थान पर शब्द समूह ''रुपये 3000/-(तीन हजार रुपये)'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राम बिलाश गुप्ता,
सरकार के सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 102-300+400--शनि मुण्डा ।